

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना, दिनांक-

संचिका सं०-17/विविध 2-07/2014 ...../स्वा०, डा० अर्जुन कुमार सिंह, प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के दिनांक-28.02.2018 के अपराहन से वार्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप डा० हेमन्त कुमार सिन्हा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को अंतरिम व्यवस्था के तहत दिनांक-01.03.2018 के प्रभाव से नियमित पदस्थापन होने तक प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पद का प्रभार दिया जाता है।

2. डा० सिन्हा को वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-9262 दिनांक-01.10.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 नियम-84 के अन्तर्गत उक्त संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।
3. डा० सिन्हा को वित्तीय समस्याओं के निराकरण हेतु वित्तीय शक्ति नियमित पदस्थापन होने तक के लिए दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


ह०/-

(सचिवदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 2-07/2014 - 167/17/पटना, दिनांक :- 8/3/18

- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- डा० हेमन्त कुमार सिन्हा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, (डा० करुणा कुमारी)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
8/3/18

सरकार के विशेष सचिव।